कार्यालय जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी, जनपद–इटावा

संख्याः 1134/जि0आ0अ0–इटावा/आब0दु0–व्यवस्थापन/2018–19/ई–टेण्डर दिनांकः04 जुलाई, 2018

ई–टेण्डर सम्बन्धी विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 इलाहाबाद के पत्र संख्या 28842–28916/दस–लाइसेंस–367/सुझाव आबकारी नीति/2018–19 दिनांक 04.07.2018 द्वारा उत्तर प्रदेश शासन, आबकारी अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–7/2018/ई–2/तेरह–2018–46/2017दिनांक 25.01.2018 तथा शासनादेश संख्या 52/2018/2341 ई–2/तेरह–2018–46/2017टी0सी0III दिनांक 03.07.2018 में दिये गये निर्देश के क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर व मॉडल शॉप की फुटकर दुकानों जिनका पंचम चरण तक व्यवस्थापन नहीं हो पाया है, का वर्ष 2018–19 की शेष अवधि हेतु छठे चरण का व्यवस्थापन दिनांक 05.07.2018 से दिनांक 13.07.2018 के मध्य ई–टेण्डर/ऑफर के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि पंचम चरण से अवशेष जनपद–इटावा की 01 देशी मदिरा दुकान का व्यवस्थापन वर्ष 2018–19 की शेष अवधि के लिये छठे चरण का व्यवस्थापन दिनांक 05.07.2018 से 13.07.2018 के मध्य ई–टेण्डर/ऑफर के माध्यम से किया जाना है। दुकान का विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	दुकान का नाम	दुकान की प्रास्थिति	दुकान हेतु निर्धारित न्यूनतम वार्षिक बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस			न्यूनतम धरोहर धनराशि (रू0में)	हैसियत
			निर्धारित न्यूनतम वार्षिक एम0जी0क्यू0 (ब0ली0 मे 36 प्रति0वी/वी के टर्म में)	न्यूनतम वार्षिक बेसिक लाइसेंस फीस (रू0में)	न्यूनतम वार्षिक लाइसेंस फीस (रू0में)		
1	2	3	4	5	6	7	
1	जसवन्तनगर नं0–1	नगरपालिका	55901	1565228	12410022	156523	2329209

उक्त दुकान का व्यवस्थापन वित्तीय वर्ष 2018–19 की अवशेष अवधि के लिये आन लाइन निविदा के माध्यम से किया जाना है, के नियम व शर्ते निम्नवत हैः–

1–मदिरा की फुटकर दुकान का व्यवस्थापन www.etender.up.nic.in पर आनलाइन ई–टेण्डर/आफर के माध्यम से किया जायेगा।

2–सम्पूर्ण निविदा सूचना आलेख के साथ संलग्न प्रारूप–1 पर आवेदन पत्र तथा संलग्न प्रारूप–2 पर शपथ पत्र www.etender.up.nic.in से ही डाउन लोड कर भरी जायेगी। निर्धारित आवेदन पत्र व शपथपत्र पर देय सूचना ही मान्य होगी। निर्धारित प्रारूप से भिन्न टंकित या तैयार किये गये आवेदन पत्र व शपथपत्र के प्रारूप मान्य नही होगे।

3–आवेदन/व्यवस्थापन से सबंधित प्रकिया वेबसाइट www.etender.up.nic.in पर ही सम्पादित की जायेगी।

4–प्रत्येक आवेदक/ऑफरदाता को डिजटल सिग्नेचर सार्टिफिकेट(DSC) भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी एजेन्सी से अनिवार्य रूप से तैयार कराना होगा तथा www.etender.up.nic.in पर पंजीकरण करना होगा। आवेदन केवल आन लाइन ही करना होगा अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नही है।

5–दुकान हेतु आवंटन के लिये भारत के नागरिक ही पात्र होगें।

6–आवेदक आबकारी राजस्व का बकायेदार या आबकारी अनुज्ञापनों हेतु विवर्जित नही होना चाहिये।

7–आवेदक आन लाइन प्रकाशन की तिथि तक 21 वर्ष से कम आयु का नही होना चाहिये।

8–यदि कोई दुकान पूर्व में आवेदक के पक्ष में आवंटित हुई हो तो उसका विवरण आवेदक द्वारा देना अनिवार्य होगा।

9–आवेदन को आन लाइन ऑफर के साथ निम्न प्रपत्रों की स्वप्रमाणित स्कैनप्रति अनिवार्य रूप से आन लाइन टेक्निकल बिड सेक्शन में अपलोड करनी होगीः–

क–आवेदन पत्र ख–सम्बन्धित शपथपत्र (रूपये 10/–के नान जुडीशियरी स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित) ग–पैनकार्ड घ–आधार कार्ड च–हैसियत प्रमाण पत्र छ–प्रोसेसिंग शुल्क एवं जी.एस.टी की धनराशि के NEFT/RTGS से भुगतान की बैंक रसीद ज–वाछित धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफट की स्वप्रमाणित स्कैन प्रति अनिवार्य रूप से आन लाइन फाइनेंसियल बिड सेक्शन में अपलोड करनी होगी यदि आवेदन सह आवेदक के साथ किया गया है तो सह आवेदक को भी विन्दु ख,ग,घ तथा च के अभिलेख अपलोड करने होगें।

10–प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ देशी मदिरा दुकान हेतु रू–15000/– प्रोसंसिंग शुल्क आवेदन प्रकिया के रूप में देय होगा तथा इस पर 18 प्रतिशत की दर से जी.एस.टी. भी देय होगा। यह धनराशि जिला आबकारी अधिकारी, लखनऊ (**ZILA ABKARI ADHIKARI LUCKNOW**) के पंजाव नेशनल बैंक विपुल खण्ड, लखनऊ स्थित खाता संख्या **4483002100004497** में जमा करना होगा। जिसका आई एफ0एस0सी0 कोड **PUNB0448300** है।

Scanned by CamScanner

11–देशी मदिरा की दुकान हेतु कुल न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में निहित बेसिक लाइसेंस फीस के 10 प्रतिशत के बराबर की **धरोहर धनराशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में जोकि जिला आबकारी अधिकारी, इटावा के नाम से बना हो** ही स्वीकार किया जायेगा। प्रत्येक आवेदन के लिये पृथक धरोहर धनराशि जमा करनी अनिवार्य होगी।

12–टेक्निकल निविदा में सही पाये गये आवेदको की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी। दुकान हेतु पृथक से आवेदन,मूल धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट तथा पृथक से आन लाइन ऑफर प्रस्तुत किया जायेगा।

13–टेक्निकल निविदा के खोलने के समय आवेदक या उसका प्रतिनिधि उपस्थित रह सकता है।

14–आवेदक द्वारा गलत तथ्य या करप्ट और फ्राड प्रैक्टिस करने पर उसका आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

15–अधिकतम ऑफरदाता को मदिरा दुकान आवंटित की जायेगी।

16–आवेदक आन लाइन बिड सबमिशन की अन्तिम तिथि तथा समय से पूर्व अपनी बिड को संशोधित कर सकता है अथवा वापस ले सकता है।

17–आवेदक को आन लाइन ऑफर भरने पर बिड एकनालिजमेन्ठ प्राप्त होगा । जिसे प्रस्तुत करने पर वह निविदा खुलते समय प्रवेश पा सकेगा।

18–एकल आवेदक होने की दशा में व्यवस्थापन आवेदक के पक्ष में कर दिया जायेगा। यदि दो या अधिक व्यक्तियों के ऑफर एक समान है तो उनके मध्य सार्वजनिक मैनुअल लाटरी द्वारा दुकान का आवंटन किया जायेगा।

19–आवंटन समिति किसी भी आन लाइन ऑफर को विना कारण बताए स्वीकार या निरस्त कर सकती है अथवा सम्पूर्ण आन लाइन प्रक्रिया को निरस्त कर सकती है ।

20–विभाग किसी तकनीकी खराबी जो उसके अधिकार क्षेत्र में न हो, के लिये जिम्मेदार नही होंगा।

21–आवेदक आबकारी अधिनियम 1910 तथा दुकानों के व्यवस्थापन के संबंध में प्राख्यापित नियमावली व आबकारी नीति 2018–19 के निर्देशों को मानने के लिये बाध्य होगा।

22–व्यवस्थापन की शेष शर्ते इसके पूर्व के व्यवस्थापन के समान ही पूर्ववत रहेंगी।

23–प्रत्येक आवेदक/ऑफरदाता को Digital Signatur Certificate (DSC) भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी एजेन्सी से अनिवार्य रूप से तैयार कराना होगी।

24–आन लाइन व्यवस्थापन हेतु समय सारणी निम्नवत है:–

1	Tender publishing date	05-07-2018 at 15:30
2	Document download start date	05-07-2018 at 15:30
3	Document download end date	12-07-2018 at 09:30
4	Pre bid meeting date	07-07-2018 at 16:00
5	Bid submission start date	05-07-2018 at 15:30
6	Bid submission closing date	12-07-2018 at 09:30
7	Technical bid opening date	12-07-2018 at 11:00
8	Financial bid opening date	13-07-2018 at 14:00
9	The place of bid opening	As decided by the Collector
10	Tender inviting officer	Collector

04.07.18

जिला आबकारी अधिकारी
इटावा।

जिलाधिकारी
इटावा।

संख्या– 1135-36/तददिनांक।

प्रतिलिपि:–

1. प्रधान सम्पादक, हिन्दुस्तान को इस आशय से कि न्यूनतम सरकारी दर एवं न्यूनतम स्थान में अगले अंक में प्रकाशित कराकर बिल दो प्रतियों में भुगतान हेतु इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. एन0आई0सी0, इटावा को इस अनुरोध के साथ कि जनपद इटावा की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराये एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करायें।

जिला आबकारी अधिकारी
इटावा।

Recived
Tripathi

Scanned by CamScanner